अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/54/2013-14

27 अगस्त, 2013

श्री पी. सी. उपाध्याय
वरिष्ठ निजी सचिव / जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव कार्यालय,
सुभाष मार्ग, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री राजेन्द्र कुमार छावडा पुत्र स्व. हेमराज, निवासी वार्ड सं. 4, पंजाबी मोहल्ला, दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन-263160 का दिनांक 20 अगस्त 2013 का पत्र दिनांक 26 अगस्त 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 12एफ 448579 संलग्न कर अपने पत्र पर कार्यवाही की सूचना चाही है, जिसमें इन्होंने पी एच सी गदपुर के डा. जे. सी मंडल द्वारा दर्ज बयानों के संबंध में उल्लेख किया है, चूंकि पत्र का विषय उत्तराखण्ड सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री राजेन्द्र कुमार छावडा पुत्र स्व. हेमराज, निवासी वार्ड सं. 4, पंजाबी मोहल्ला, दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन-263160 - कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

न्यायधीश??

बनाम

कानून??

सत्र न्यायालय से
मुझे
आजीवन
कारावास
क्यों?????

सबूत 0% यानीं कुछ नहीं??

यानीं कुछ है ही नहीं??

घटनां घटी ही नहीं??

मेडिकल तैयार है??

घटनां दर्शायी 6.30 P.m. की??

एडवान्स मेडिकल सेम डे 5.45 P.m. का??

P.H.C.गदरपुर के Dr.j.c.mandal–नें न्यायालय में दर्ज कराये बयानों में कहा कि दि0 27-6-99 को 5.45 **p.m.** पर चुटैल बिकाउ मिया पुत्र अब्बास मियां अस्पताल में आया और मैनें उसी समय उसे जिला चिकित्सालय रूद्रपुर को रीफर कर दिया इस सम्बन्ध में एक पत्र जिला चिकित्सालय को लिखा जो पत्रावली में है मेरे लेख हस्ताक्षर में है जिस पर **Ext ka 6** डाला गया।

लेकिन सत्र न्यायालय के माननीय न्यायधीश नें इस वाद के निर्णय के पृष्ट सं0-32 पर लिखा कि P.H.C.गदरपुर के डाक्टर के बयानों तथा समस्त अभिलेखों से सिद्ध हो गया है कि घटनां वाले दिन 7-45 बजे शाम गदरपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में Dr.j.c.mandal नें ही सब से पहले चुटैल बिकाउ मियां की हालत को देखा और उसकी हालत का विवरण प्रदर्श क-6 में अंकित किया।

धारा-307,506 में-बिनां सबूतों के सजा-आजीवन कारावास??

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नें उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में इस वाद के निर्णय में बिन्दु संख्या-6 में लिखा कि-If the incident took place at 6:30 p.m.on 27.06.1999 , how can the Constable of PS Rudrapur bring the injured to PHC Gadarpur on the selfsame day at 5:45 p.m?This fact indicates that the injured received injury on 27.06.1999 at 5:45 p.m. somewhere and designedly, in order to implicate the appellants, lodged the first information report against them on account of enmity, which was registered as case crime no. 440 of 1999 for the offences punishable under Sections 307/506 IPC.There was possibility that the injured might have sustained injuries, but how can those injuries be inflicted by the appellants on 27.06.1999 at 6:30 p.m.when the Medical Officer examined the injured and found those injuries on the person of Bikau Miyan on the selfsame day at 5:45 p.m? This fact alone was sufficient to demolish the entire prosecution case. (और इस वाद से बरी कर दिया)

सेवा में,

लोक सूचनां अधिकारी/
उप राष्ट्रपती सेकेट्री
6 मैलानां आजाद मार्ग नई दिल्ली

विषयः–सूचनां अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनां चाहनें हेतु

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता हेमराज द्वारा प्रार्थी के बडे भाई अशोक कुमार के गलत आचरण तथा दुर्व्यवहार के चलते दि0 25–10–1984 में अमरउजाला अखबार के माध्यम से तथा दि0 12–3–1997 को रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से अपनीं सर्व सम्पत्ती से बेदखल कर दिया था इस रंन्जिश से प्रार्थी के बड़े भाई अशोक कुमार नें थानां गदरपुर की पुलिस व कुछ लोगों से सांठ–गांठ कर पिता व भाई पर धारा 307, 506 i.p.c.का फर्जी मुकदमां कायम कराया ताकी मुकदमें व सजा का भय दिखा कर पिता व भाई से जमीन जायदाद हथियायी जा सके।

प्रार्थीगण पर उक्त फर्जी मुकदमां न्यायालय सत्र न्यायधीश जि0उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड में **सत्र परीक्षण संख्या–27/2000 सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार आदि धारा 307,506 i.p.c.** थाना–गदरपुर जिला–उधम सिंह नगर अपराध सं0 440/99 चला।

जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज करायी f.i.r. मे दर्शाया किः–

यह कि–वादी नें अपनें अधिवक्ता से थानां गदरपुर में प्रार्थी अभियुक्त गण के विरूद्ध दर्ज करायी f.i.r.संक्षेप में–**प्रार्थी का अपनें भाईयों व पिता से जमींन के बंटवारे के बावत विवाद चल रहा है आज दिनांक 27-6-99** को जब प्रार्थी अपनीं श्यामनगर वाली जमीन जुतवा रहा था ट्रेक्टर को ड्राईवर बिकाउ मियां चला रहा था तथा मैं भी ट्रेक्टर पर बैठा था तभी मेरा भाई राजेन्द्र कुमार अपनें हाथ में लाईसेन्सी राफल लिये अपनें पिता हेमराज के साथ उक्त खेत पर आ गया तथा आते ही दोनों लोग गाली गलोच करनें लगे तभी मेरे पिता के कहनें पर राजेन्द्र नें अपनीं लाईसेन्सी रायफल से मेरे उपर जान से मारनें की नियत से दो फायर किये जिस्में एक मेरे ड्राईवर बिकाउ मियां की दाहिनीं भुजा में लगा तथा दूसरा ट्रेक्टर के मरगार्ड में लगा जिस पर मैं बैठा था मैं ट्रेक्टर पर बैठा बाल बाल बच गया यह **घटनां करीब 6.30 बजे शाम की है।**

P.w-1–वादी अशोक कुमार नें न्यायालय में दिनांक 25.7.2002 को दर्ज कराये बयान में कहा कि घटनां दिनांक 27.6.99–6.30 p.m.की है और इस घटनां की रिपोर्ट

कृमशः पृष्ट संख्या 2 पर

P.w-3-हैडमुहर्रिर थाना गदरपुर के न्यायालय में दर्ज कराये बयान तथा थानें की G.D. अनुसार इस घटनां की रिपोर्ट दि0 27-6-99 को 7.40 p.m.पर थानें में दर्ज हुई।

यह कि-इस प्रकार तो **p.w-2** चुटैल बिकाउ मियां को **p.h.c.**गदरपुर में दिनांक **27.6.99** को **7.40 p.m.**के बाद पहुचनां चाहिये था।
{?लेकिन चुटैल तो पहले ही दि0 27.6.99 को 5.45**p.m.**पर **p.h.c.**गदरपुर में था }

बयान-P.W.4,D.W.3-P.H.C.गदरपुर के **Dr.j.c.mandal**-नें न्यायालय में दर्ज कराये बयानों में कहा कि दि0 27-6-99 को 5.45 p.m.पर चुटैल बिकाउ मिया पुत्र अब्बास मियां अस्पताल में आया और मैनें उसी समय उसे जिला चिकित्सालय रूद्रपुर को रीफर कर दिया इस सम्बन्ध में एक पत्र जि0 चिकित्सालय को लिखा जो पत्रावली में है। मेरे लेख हस्ताक्षर में है जिस पर Ext ka 6 डाला गया।

लेकिन-पत्रावली में सन्लग्न Ext ka 6 में अकिंत समय{5.45 p.m}के कारण अभियोजन पक्ष नें बनाये अपनें इस फर्जी मुकदमें की पोल खुलते देख यानीं मामला उल्टे होते देख Ext ka 6 में अकिंत समय 5.45 p.m.में से 5 के अकं वाले स्थान पर छेद कर 5 के अंक को फाड दिया और इस Ext ka 6 की फर्जी बनायी 7.45 p.m.की फोटोस्टेट प्रर्थना पत्र 121ख के साथ सन्लग्न कर पत्रावली में दाखिल कर दी।

यह कि-अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की इस पत्रावली में सन्लग्न P.H.C.गदरपुर के असल मेडिकल{रीफर}पत्र प्रदर्श क-6 (EXT ka-6) में अंकित समय 5.45 P.M में से 5 के अंक वाले स्थान पर छेद बना कर 5 के अंक को फाडा और जब प्रदर्श क-6 (EXT ka-6)में मात्र .45 P.M. रह गया तो अभियोजन नें न्यायालय को गुमराह करनें की नियत से इस प्रदर्श क-6 (EXT ka-6) की 7.45 P.M.के समय की फर्जी बनायी फोटोस्टेट को प्रार्थनां पत्र 121ख के साथ सन्लग्न कर न्यायालय की पत्रावली में दाखिल कर दिया। जब कि-प्रार्थी अभियुक्त नें न्यायालय की पत्रावली में सन्लग्न इस (EXT ka-6) की नियमां अनुसार दिनांक 12-9-2002 को तथा दि0 15-3-2004 को सत्यप्रतियां (TRUE COPY) प्राप्त कर ली थी। जिस्में 5.45 p.m. का अंकित है

यह कि-न्यायालय की पत्रावली में सन्लग्न प्रदर्श क-6(EXT ka-6) में अंकित समय 5.45 P.M.में से 5 का अंक गायब होनें से और मात्र .45 P.M. रह जानें पर प्रार्थी अभियुक्त नें अपनें अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली में दि0 06-01-2005 को सफाई साक्ष में फैहरिस्त कागजात संख्या 111ख/1 व 111ख/2 दाखिल की फैहरिस्त

क्रमशः पृष्ट संख्या ३ पर

कागजात संख्या 111ख/2 में दाखिल कागजात में न्यायालय से जारी Ext ka 6 दि0 12.9.2002 तथा दि0 15-3-2004 की सत्यप्रतियां(TRUE COPY)भी दाखिल की ताकि Ext ka 6 में अंकित 5.45 p.m.के समय को न्यायधीश के संज्ञान में लाया जा सके। लेकिन फिर भी? मा0 सत्र न्यायधीश नें फर्जी बनायी फोटोस्टेट को सही क्यों? माना?

जब कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नें **criminal appeal no. 93 of 2005** में उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में इस वाद के निर्णय में बिन्दु संख्या-6 में लिखा कि-If the incident took place at 6:30 p.m.on 27.06.1999 , how can the Constable of PS Rudrapur bring the injured to PHC Gadarpur on the selfsame day at 5:45 p.m? This fact indicates that the injured received injury on 27.06.1999 at 5:45 p.m. somewhere and designedly, in order to implicate the appellants, lodged the first information report against them on account of enmity,which was registered as case crime no. 440 of 1999 for the offences punishable under Sections 307/506 IPC.There was possibility that the injured might have sustained injuries,but how can those injuries be inflicted by the appellants on 27.06.1999 at 6:30 p.m.when the Medical Officer examined the injured and found those injuries on the person of Bikau Miyan on the selfsame day at 5:45 p.m?This fact alone was sufficient to demolish the entire prosecution case.

और माननीय न्यायधीश नें इस वाद के निर्णय के पृश्ट संख्या-32 पर जो निम्न लिखा है वह इस पत्रावली में है ही नहीं। यानीं स्वेच्छा से लिखा है।

माननीय न्यायधीश महोदय नें पृष्ट संख्या–32 में लिखा है-

कि-जिन Dr.j.c.mandal द्वारा प्रदर्श क-6 को अभियोजन की ओर से सिद्ध किया गया है उन्हीं Dr.j.c.mandal को बचाव पक्ष नें भी बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है और इनके दोनों बयानों से तथा समस्त अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया है कि घटनां वाले दिन 7.45 बजे शॉम गदरपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में Dr.j.c.mandal नें ही सबसे पहले चुटैल बिकाउ मियां की हालत को देखा और उसकी हालत का विवरण प्रदर्श क-6 में अंकित किया।?यह कि-मा0 न्यायधीश नें निर्णय के पृष्ट संख्या–32 में उपरोक्त तथ्य स्वेच्छा से लिखा है? (यह उपरोक्त तथ्य तो पत्रावली में है ही नहीं)

1-यह कि जब कि-p.h.c.गदरपुर के Dr.j.c.mandal नें न्यायालय में दर्ज कराये बयान में कहा कि दि0 27.6.99 को 5.45 p.m.पर चुटैल बिकाउ मियां p.h.c.गदरपुर आया उसे सेम टाईम पर जिला चिकित्सालय रूद्रपुर रीफर किया।

क्रमशः पृष्टसंख्या 4 पर

तो–माननीय सत्र न्यायधीश महोदय नें इस वाद में दिये गये निर्णय के पृष्ट संख्या–32 पर यह **लिखा कि**–जिन Dr.j.c.mandal द्वारा प्रदर्श क–6 को अभियोजन की ओर से सिद्ध किया गया है उन्हीं Dr.j.c.mandal को बचाव पक्ष नें भी बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है **लेकिन? यह क्यों?? लिखा कि––**और इनके दोनों बयानों से तथा समस्त अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया है कि **घटनां वाले दिन 7.45 बजे** शाम गदरपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में Dr.j.c.mandal नें ही सबसे पहले चुटैल बिकाउ मियां की हालत को देखा और उसकी हालत का विवरण प्रदर्श क–6 में अंकित किया।––**की सूचनां कौन सा विभाग देगा की सूचना प्रदान करनें की कृपा करे। यदि यह सूचनां आपका विभाग देगा तो कृप्या सूचना प्रदान करनें की कृपा करें। आप की अति कृपा होगी।**

नोटः–इस तथ्य के सारे प्रमाण प्रार्थी के पास तथा इस वाद की पत्रावली में सन्लग्न है।

अतः–प्रार्थी को सूचनां अधिकार अधिनियम के तहत सूचनां उपलब्ध करानें की कृपा करें

आवेदन शुल्क (धारा 6 (1)) के तहत 10 रू0 का पोस्टल आर्डर सं0 12F 448579 सन्लग्न है।

प्रार्थी

प्रार्थी का मोबाईल न0 **+919012375000**

राजेन्द्र कुमार छाबडा पुत्र स्व0 हेमराज
निवासी–वार्ड न0 4 पंजाबी मोहल्ला
दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर
उत्तराखण्ड पिन–263160

दिनांक–20/8/2013